संख्या-15/2020/455जेएल/22-3-2020-800(94)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
भदोही।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-**3 ***लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2020***

विषय- जिला कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी रविन्दर सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्मराज सिंह, निवासी-ग्राम-फौदीपुर, थाना-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी रविन्दर सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्मराज सिंह, निवासी-ग्राम-फौदीपुर, थाना-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बंदी को शासनादेश संख्या-107/2019/4163जेएल/22-3-19-800(94)/2019, दिनांक 20-12-2019 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-15/2020/455जेएल(1)/22-3-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, भदोही।
4- अधीक्षक, जिला कारागार वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in